राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,केन्द्रीय कार्यशाला, जोधपुर

कमांक :- 65 दिनांक 20/06/24

-: निविदा सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर, की ओर से आगामी एक वर्ष के लिये, गियर बॉक्स आर.सी. कार्य कराने बाबत निविदा प्रपत्र पर मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित करता है।

निविदा का निर्धारित प्रपत्र एवं शर्ते दिनांक 21.06.2024 से 01.07.2024 14.00 बजे तक इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को निर्धारित समय(प्रातः 8.00 से 16.30 तक) निर्धारित शुल्क राशी 590/– (जी.एस.टी. सहित)रूपये प्रति निविदा फार्म नकद जमा करवा कर प्राप्त की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट www.transport.rajasthan.gov.in /rsrtc से ऑनलाईन डाउनलोड की जा सकती है, जिसका निर्धारित शुल्क नकद अथवा डीडी/ बैंकर चैक निविदा फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अमानत राशी 10,000/– निविदा प्रपत्र के अनुसार इस कार्यालय में नकद जमा करवा कर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो कि मुख्य उत्पादन प्रबन्धक ,केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर के नाम देय हो, निविदा फार्म के साथ जमा करानी होगी। भरे हुए मोहरबन्द निविदा फार्म एवं शर्ते निविदादाता के हस्ताक्षर सहित दिनांक 01.07.2024 को 14.30 बजे तक ही इस कार्यालय में जमा किये जायेगें एवं प्राप्त निविदा प्रपत्र उसी दिन सांय 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेगें।

मुख्य उत्पादन प्रबन्धक
केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर

निविदा प्रपत्र

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशला, देसुरिया विश्नोईयान,नागौर रोड़ जोधपुर

कमांक :– दिनांकः

मुख्य उत्पादन प्रबंधक
राजस्थान परिवहन निगम ,
केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर,

विषयः–राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर में गीयर बॉक्स आर सी. करने का कार्य करने बाबत्।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम केन्द्रीय कार्यशला जोधपुर में गीयर बॉक्स आर सी. करने का कार्य करवाने के सम्बंध में निम्नानुसार बोली प्रपत्र प्रेषित है । बोली प्रपत्र की फीस राशि 590/–(नॉन रिफण्डेबल) रसीद संख्या ....दिनांक..............................

नोटः–निविदा प्रपत्र दिनांक 01.07.2024 को 14:30 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त किये जायेगे एवं प्राप्त निविदायें उसी दिन 15:00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोली जावेगी।

सामान्य विवरण

1	फर्म का नाम	
2	फर्म का स्थाई पता	
3	फर्म का दूरभाष न./ मोबाईल न./ई–मेल	
4	फर्म का पत्र व्यवहार का पता	
5	फर्म का जी.एस.टी. नम्बर	
6	फर्म का पेन कार्ड न. मय फोटो प्रति	
7	फर्म का द्वारा फार्म हेतु निगम कोष में बोली प्रपत्र की फीस (मुख्य उत्पादन प्रबंधक , केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर) में जमा करायी राशि 590/ रुपये की रसीद/डी.डी. नम्बर व दिनांक	
8	डी.डी. नम्बर व दिनांक अमानत राशि 10000/– (मुख्य उत्पादन प्रबंधक , केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर)	
9	**प्रस्तावित दर मय GST प्रति गीयर बॉक्स आर.सी. की राशी**	

1. कार्य (Scope of Work)

निम्नलिखित सूची व विवरण अनुसार विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैः–

क.स.	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा अनुमानित	निविदा कि अनुमानित लागत (लाख में)
I	**गीयर बॉक्स आर.सी.करना (गीयर बॉक्स को डिस्मेंटल करके आवश्यक स्पेयर पार्ट्स चेंज करके आर.सी. तैयार कर देना)**	325 गीयर	5.00

निविदा के नियम एवं शर्ते

गीयर बॉक्स आर.सी.करने का कार्य जॉब बैसिस वर्क पर तैयार करने हेतु अनुबन्ध की शर्ते निम्नानुसार है :–

1. ठेकेदार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि जोधपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला आवश्यकतानुसार सभी वाहनों के गीयर बॉक्स आर.सी. गीयर आदि को डिसमेन्टल करके आवश्यकतानुसार मशीनिंग का कार्य करके व स्पेयर चेन्ज करके आर.सी. तैयार करके देना होगा।
2. ठेकेदार को जॉब बैसिस के सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय कार्यशाला परिसर में केन्द्रीय कार्यशाला द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की देख रेख मे निर्धारित माप दण्ड के अनुसार संपादित करना होगा। आवश्यक होने पर ही कुछ कार्य उत्पादन प्रबंधक की स्वीकृति उपरान्त केन्द्रीय कार्यशाला परिसर से बाहर संपादित किये जा सकेगें।
3. निविदादाता को गीयर बॉक्स आर.सी. संबंधी कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य हैं। बिना अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. ठेकेदार को निगम द्वारा आवंटित कार्य के निष्पादन हेतु औजार एवं अन्य आवश्यक संसाधन अपने कामगारों को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने होगें।
5. पुरानी एसेम्बली व स्पेयर पार्टस, ऑयल, ल्यूब्रीकेंट निगम द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगे। ठेकेदार द्वारा इन्हें स्वीकृत समय मे पूर्ण आर.सी. कर देना होगा। कार्य में लगने वाले संभावित समय का निर्धारण केन्द्रीय कार्यशाला समिति द्वारा किया जायेगा।
6. ठेकेदार को जॉब बैसिस के विभिन्न कार्य से जुडे समस्त आवश्यक उपकरण व औजार, टेस्ट बैंच इत्यादि रखने होंगे। साथ ही आवश्यकतानुसार सभी विशेष उपकरण मशीनें इत्यादि जो आवश्यक है, स्वयं के खर्चे पर व्यवस्था करनी होगी, साथ ही समस्त मशीन कार्य भी स्वयं के स्तर पर केन्द्रीय कार्यशालाओं में अथवा उत्पादन प्रबधंक के निर्देशनुसार स्थानीय बाजार से करवाने होगें।
7. कार्य के दौरान मशीनरी/पार्टस को लोड/अनलोड करने का कार्य ठेकेदार को स्वंय के स्तर पर ही करना होगा।
8. ठेकेदार को गारंटी से पहले कोई मरम्मत अथवा असेम्बली फैल होती है तो इसे पुनः निःशुल्क (Free of cost) रिपेयर करके देना होगा। बार–बार फेल होने पर सम्बधित केन्द्रीय कार्यशाला समिति को कार्यादेश रदद् करने का अधिकार होगा।
9. ठेकेदार को कार्य समाप्ति पर सभी प्रकार की अनावश्यक स्पेयर, कचरा, उपकरण इत्यादी को हटाकर निर्धारित स्थान पर डालना होगा व कार्यस्थल को साफ एवं सही स्थिति में रखना होगा।
10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।
11. यदि ठेकेदार अनुबंध निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करना चाहता है तो उसे तीन माह का नोटिस देना आवश्यक होगा, अन्यथा उसकी निगम में जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
12. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाल तकनीकी कर्मचारी सदव्यवहारी एवं ईमानदार होंगे तथा इनके आचरण एवं कार्य हेतु अनुबंधित फर्म पूर्ण उत्तरदायी रहेगी। यदि फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाल कर्मचारी द्वारा कियी भी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो निगम द्वारा इस सम्बंध मे नोटिस जारी करने पर फर्म को तुरन्त संबंधित कर्मी को हटाना होगा तथा अनुबधित फर्म के कर्मचारी के किसी कार्य से निगम को आर्थिक हानि उठानी पडती है तो उसकी वसूली सम्बंधित फर्म से की जावेगी।
13. ठेकेदार के द्वारा अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करने तथा आवटिंत मेन्टीनेंस कार्य संतोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध समाप्त करते हुये प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।
14. कार्य के दौरान हुई किसी भी सामान की टूट फूट की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं होगी एवं कार्य के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना में ठेकेदार के आदमी को हुई हानि/चोट के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। निगम किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उतरदायी नही होगा।
15. ठेकेदार द्वारा यदि कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं कराये जाते है एवं इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो अनुबंध कर्ता से देरी से किये गये कार्य की लागत का 5 (पॉंच) प्रतिशत प्रति 15 दिवस की दर से शास्ति राशि वसूल की जावेगी एवं इस सबंध मे किसी भी विवाद को केन्द्रीय कार्यशाला समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
16. ठेकेदार एवं कामगारों को कार्यशाला समय में ही कार्य करना होगा एवं कार्यशाला सुरक्षा मापदंडो व नियमो का पालन करते हुऐ पूर्ण अनुशासन से कार्य करना होगा। ठेकेदार द्वारा निविदा से संबंधित कार्य किसी को सबलेट नही किया जा सकेगा। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. ठेकेदार को अपने पेन कार्ड, जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन नम्बर, भविष्य निधि व कर्मचारी बीमा रजिस्टेशन एवं श्रम अनुज्ञा पत्र, निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। यदि कोई प्रपत्र अथवा पंजीयन सम्बन्धित ठेकेदार के दायित्व मे नही हो तो इसके लिए ठेकेदार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
18. ठेकेदार अपने अधीन कार्यरत कामगारो को देय भुगतान मे से नियमानुसार भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा राशि काट कर सम्बधित विभाग मे जमा करायेगे एवं इसके जमा कराने का चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यदि ठेकेदार अपने स्तर से जमा कराने की कार्यवाही नही करता है तो ठेकेदार अपने कर्मचारियो को देय भुगतान पर नियमानुसार भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा की राशि की गणना कर उसकी अनुसूची अपने बिल के साथ प्रस्तुत करेगा। निगम उसकी अनुसूची के अनुरूप भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा की राशि ठेकेदार के भुगतान से काट कर सम्बन्धित विभाग मे जमा करायेगा।

19. उक्त अनुबन्ध में वर्णित समस्त कार्य अस्थाई है एवं निगम की आवश्यकतानुसार करवाये जाने है। ठेकेदार कार्य आवंटन की मात्रा के लिए रापनि को बाध्य नहीं कर पायेगें, एवं उसके कामगारों को निगम में स्थाई सेवा एवं अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा का अधिकार देय नहीं होगा। ठेकेदार को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा एंव 18 वर्ष से कम आयु का कोई कर्मचारी नहीं रख सकेगा। उक्त नियमों की अवहेलना की स्थिति मे समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का स्वयं का होगा।

20. ठेकेदार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय कार्य में लापरवाही करने पर यथा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाने पर, अपेक्षित समय सीमा में कार्य संपादित नहीं करने एवं नोटिस दिये जाने के उपरांत भी आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वयं/ अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति नहीं दिये जाने की दश में निगम द्वारा ठेकेदार को 15 दिवस की अवधि के भीतर अधिकतम दो नोटिस उचित माध्यम से प्रेषित किये जावेंगे । तत्पश्चात् भी कार्य हेतु उपस्थित नहीं होने की दश मे निविदा अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही करते हुऐ सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

21. ठेकेदार को देय भुगतान मे से नियमानुसार समस्त करों की कटौती की जायेगी।

22. ठेकेदारको नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। जिसे गारन्टी अवधि समाप्ति के 60 कार्य दिवस के उपरान्त लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

23. उक्त अनुबन्ध एक वर्ष के लिये मान्य होगा परन्तु ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

24. भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करने होंगे। जिनके प्रमाणीकरण उपरान्त ही राशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

25. किसी विशेष परिस्थिति के कारण कार्य निलंबित रहने के कारण अनुबन्धकर्ता को यदि अतिरिक्त व्यय होता है तो उसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

26. आवश्यक होने पर कार्य की मात्रा को आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानानुसार बढाया जा सकेगा।

27. टेंडर के सम्बंध मे किसी भी प्रकार का विवाद हाने पर निम्न प्रावधान लागु होगा।

(i) Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to,the construction,meaning scope,operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be reso;ved by-referring such dispute or difference to the standing committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Coropration"s office Order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017.The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

(ii) Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contract/agreements issued by the corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.

ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर

मुख्य उत्पादन प्रबन्धक